(197)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

संoसंo–मoनिo–XIV–विविध/226/2016–2017/1065/मत्स्य/राँची, दिनांक 24.09.2021

संकल्प

विषय : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–मo निo–1575, दिनांक 09–11–2017 की कंडिका –3 में आंशिक परिमार्जन यथा "किसी परियोजना विशेष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के अधीन जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों का एक प्रतिशत जलक्षेत्र की अधिकतम 10 वर्षों के लिए बन्दोबस्ती राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड/झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लिo (झास्कोफिश) के साथ करने की स्वीकृति" का नया अंश जोड़ने की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास हेतु मात्स्यिकी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय हैदराबाद है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के द्वारा झारखण्ड राज्य को लगातार विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त होती रही है जिससे राज्य के मत्स्य कृषक लाभान्वित हुए हैं तथा राज्य के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है।

2. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के द्वारा "जलाशयों में समेकित केज कल्चर परियोजना" की शुरूआत की गई है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के पत्र सं0 201/NFDB/PF/DPR/2017-18 (Inland Cage)/ 1818 दिनांक 16.01.2018 द्वारा इस योजना का पत्र एवं परियोजना प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इस परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के द्वारा स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह की सहमति की स्थिति में निजी मत्स्य पालकों/एजेंसी/कंपनी को केज कल्चर परियोजना का लाभुक बनाया जा सकता है। जलाशयों में केज कल्चर के अतिरिक्त उस क्षेत्र में सहायक आधारभूत संरचनाएँ यथा हैचरी, मत्स्य बीज पालन इकाई, फीड मिल तथा कोल्ड चेन की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जायेंगी। इस परियोजना की अवधि दस वर्ष की होगी। **(अनुलग्नक–01)।**

3. दिनांक 17.10.2017 को मंत्रिपरिषद के सम्पन्न बैठक में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृति के उपरान्त कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) से संकल्प सं0 1575 दिनांक 09.11.2017 निर्गत है जिसमें उपर्युक्त कंडिका–2 का लाभ राज्य को दिलाने हेतु परिमार्जन आवश्यक है। (अनुलग्नक–02)।

4. संकल्प सं0 1575 दिनांक 09.11.2017 की कंडिका–03 निम्न रूप में पठित है–

" स्थानीय विस्थापितों को मछली पालन से जोड़ने तथा उनके आर्थिक उन्नयन के लिए जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन सभी जलाशयों/जलकरों की नियत टोकन राशि मो0 100/–रू0 प्रति हे0 जलक्षेत्र वार्षिक सुरक्षित जमा पर, स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा विस्थापितों के SHG के साथ बन्दोबस्ती की जाए।"

5. यथा उपर्युक्त कंडिका– 04 में अंकित स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा विस्थापितों के SHG के अतिरिक्त नया अंश यथा "किसी परियोजना विशेष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के अधीन जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों का एक प्रतिशत जलक्षेत्र की अधिकतम 10 वर्षों के लिए बन्दोबस्ती राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड/ झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लि0 (झास्कोफिश) के साथ करने की स्वीकृति" जोड़ते हुए परिमार्जन किया जाता है।

6. संकल्प संख्या–1575 दिनांक 09.11.2017 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

7. विभागीय संलेख ज्ञापांक–330 दिनांक–22.03.2021 पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–04.06.2021 की बैठक में मद संख्या–04 के रूप में स्वीकृति दी गयी है।

8. यह संकल्प तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभागों को भेजी जाय तथा झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1065 मत्स्य/ राँची, दिनांक 24.09.2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ योजना–सह–वित्त (सांस्थिक वित विभाग सहित)/वाणिज्य कर विभाग/ उर्जा विभाग/ जलसंसाधन विभाग/विधि (न्याय) विभाग/श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में अपने विभाग से आवश्यकता अनुसार संबंधित अधिसूचना निर्गत करने की कृपा करना चाहेंगे।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव